

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री पवन कुमार पिता श्री प्रेमचन्द महतो ग्राम- जारिडीह , थाना- गांधीनगर जिला-बोकारो (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम:- बेरमो , थाना सं° 18 (गैर-मजूरआ जंगल-झाड़) खाता सं° 132 , के अधीन प्लॉट सं° 221(भाग); कुल रकवा - 2.00 एकड़ (गैर-मजूरआ जंगल-झाड़ भूमि) के अधिग्रहण के एवज मे रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है ।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा / आपति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_1nd.php पर इस सूचना को ढाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप मे महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) सी.सी.एल, राँची एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधक बोकारो-करगली क्षेत्र , सी.सी.एल, के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उपरोक्त दस दिनो के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है ।


25.08.23